'जोजरी, बांडी और लूणी नदी के 500 मीटर के दायरे में प्रदूषण फैलाने वाले कारोबार प्रतिबंधित'

सुप्रीम कोर्ट ने इन नदियों में औद्योगिक कचरा और सीवरेज का पानी मिलने से हो रहे प्रदूषण पर विशेष जाँच दल की रिपोर्ट देखने के बाद आदेश दिया

■ सुप्रीम कोर्ट ने इन नदियों के तट के 100 मीटर के दायरे में किसी भी निर्माण को प्रबिंधित कर दिया है।

जोधपुर, (कासं), 24 अगस्त। प्रदेश की जोजरी, बांडी और लूणी नदियों में पॉल्यूशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों नदियों के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के निर्माण पर रोक लगा दी है। इसके अलावा, जहां हाई फ्लड लाइन निर्धारित है, वहां उसके दोनों ओर प्रदूषण या नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी औद्योगिक गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने यह अंतरिम आदेश देते हुए कहा कि जब तक वैज्ञानिक तरीके से हाई फ्लड लाइन और आवश्यक इकोलॉजिकल बफर जोन का निर्धारण और सीमांकन नहीं हो जाता, तब तक नदी को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक है। हाई फ्लड लाइन के वैज्ञानिक निर्धारण तक कोर्ट ने अतिरिक्त सुरक्षा के तौर पर आदेश दिया कि जहां मौजूदा फ्लड लाइन चिह्नित है या नदी का वर्तमान प्रवाह मार्ग मौजूद है, उसके दोनों ओर 500 मीटर के भीतर प्रदूषण, संदूषण या नदी पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाने वाले खतरनाक उद्योग अथवा गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी।

सुनवाई के दौरान, हाई-लेवल इकोसिस्टम ओवरसाइट कमेटी और राज्य सरकार द्वारा गठित इंटीग्रेटेड को-ऑर्डिनेशन ग्रुप के सदस्यों में समानता को लेकर भी मुद्दा उठा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इंटीग्रेटेड को-ऑर्डिनेशन ग्रुप सरकार के विभागों के बीच समन्वय के लिए एक आंतरिक व्यवस्था है और यह हाई-लेवल कमेटी के अधिकार क्षेत्र में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आवश्यकता पड़ने पर कमेटी के चेयरपर्सन अपने स्तर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के प्रभावी और त्वरित क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश और आदेश जारी कर सकेंगे।

राज्य सरकार ने कोर्ट के सामने अपनी अनुपालन रिपोर्ट और विशेष जांच दल (एसआईटी) की रिपोर्ट भी पेश की। एसआईटी ने जोधपुर, पाली और बालोतरा में नदी प्रदूषण से जुड़े 16 आपराधिक मामलों का रिव्यू किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार, प्रारंभिक तौर पर जहां भी इस तरह का मामला आया है, वहां गंभीर धाराओं को जोड़कर कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की गई। जांच एजेंसी की ओर से डॉक्यूमेंट, गवाहों के बयान, सीसीटीवी फुटेज, फोटो और वीडियो की भी जांच की जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 16 सितंबर 2025 को स्वत: संज्ञान लिया था। कोर्ट ने औद्योगिक कचरे और सीवरेज के कारण जोधपुर, पाली और बालोतरा की नदियों के जहरीले होने पर गहरी चिंता जताई थी। इसमें स्टील और टैक्सटाइल सहित, अन्य औद्योगिक इकाइयों की बड़ी भूमिका सामने आई थी। कोर्ट ने पाया कि पिछले दो दशकों से प्रशासनिक लापरवाही और सिस्टम की विफलता के कारण करीब 20 लाख लोगों का जीवन, पशुधन और पर्यावरण गंभीर खतरे में है।

महिला प्रदर्शनकारियों के यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर प्राथमिकता से कार्यवाही करें

नई दिल्ली, 24 अगस्त। उच्चतम न्यायालय ने जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस हिंसा के आरोपों की जांच के लिए बनाई गई उच्चाधिकार प्राप्त जांच कमेटी (एचपीईसी) को महिला प्रदर्शनकारियों के साथ हुए यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने के लिए कहा है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह स्पष्टीकरण तब दिया, जब वरिष्ठ वकील शोभा गुप्ता ने उनसे जंतर-मंतर पर 20 जुलाई को हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ के आरोपों पर स्वत: संज्ञान लेने का आग्रह किया। सुनवाई के दौरान शोभा गुप्ता ने एक ऐसा सिस्टम बनाने का आग्रह किया, जिसके जरिए कथित पीड़ित अपनी शिकायतें सीधे पड़ताल के लिए भेज सकें।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सावन माह के अंतिम सोमवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित माँ राजराजेश्वरी मंदिर में पूजा-अर्चना कर देवाधिदेव महादेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने भगवान शिव से पूरे राजस्थान की सुख-समृद्धि, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली की प्रार्थना की।

'मुझे अनुमति ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राजनीतिक कारणों से उनके प्रस्तावित अमेरिका दौरे को रोका, क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है।

रेवंत रेड्डी ने कहा कि नरेन्द्र मोदी और भूपेन्द्र पटेल गुजरात के हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री को अमेरिका जाने की इजाजत दी गई है और कहा कि पटेल इन्वेस्टमेंट लाने के लिए कनाडा और यूएस में लगभग आठ दिन घूमे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने विदेश मंत्रालय में तय फॉर्मेट में अप्लाई किया था, लेकिन उन्हें पॉलिटिकल वजहों से उनकी रिक्वेस्ट खारिज करने का एक लाइन का जवाब मिला।

सीजेपी 5 ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

को पूरा न करने के कारण किया जाएगा। सीजेपी की "राष्ट्रीय कार्य समिति" ने आज बैठक की।

इसमें केन्द्र सरकार और भाजपा शासित राज्यों द्वारा देश के युवाओं से 25 जुलाई को किए गए पक्के वादों के पालन की समीक्षा की गई। इन्हीं वादों के आधार पर युवाओं के देशव्यापी विरोध प्रदर्शन को अच्छे विश्वास के साथ वापस लिया गया था।

विपक्ष यूपी चुनाव ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

करने की भाजपाई नीति का अब पर्दाफ़ाश हो चुका है।

यह मुद्दा इतना गंभीर है कि उत्तर प्रदेश चुनाव के पूरे समीकरणों को प्रभावित कर सकता है।

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस, दोनों ही इस मुद्दे को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने और भाजपा को उसी के मैदान में घेरने की तैयारी कर रहे हैं। यह याद किया जा सकता है कि कुछ अर्सा पहले बिहार में आरक्षण को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान ने बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया था। उस समय आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा या उसे वापस लेने की संभावना को लेकर दिए गए बयान का चुनाव पर असर पड़ा था। भाजपा बिहार चुनाव हार गई और लालू यादव फिर सत्ता में लौट आए थे। अब विपक्ष उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आरक्षण के मुद्दे को एक बड़े राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की तैयारी में है, ताकि भाजपा को उसके ही मजबूत सामाजिक आधार के बीच घेरा जा सके।

अजीत डोभाल दो ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पर बातचीत का प्रमुख माध्यम होने के साथ-साथ, आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर संवाद का एक महत्वपूर्ण मंच भी है।

लिन ने कहा कि दोनों देशों ने पिछले साल अगस्त में वार्ता का "24वां दौर" सफलतापूर्वक आयोजित किया था। इस दौरान सीमा विवाद पर दोनों पक्षों ने स्पष्ट और गहन विचार-विमर्श किया था तथा कई मुद्दों पर साझा समझ विकसित हुई थी। उन्होंने कहा कि आगामी बैठक "25वें दौर की वार्ता" होगी, जिसमें दानों पक्ष सीमा विवाद पर गहन संवाद जारी रखेंगे। यह बातचीत दोनों देशों के नेताओं के बीच बनी उस साझा समझ की भावना के अनुरूप होगी, ताकि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के साझा प्रयास किये जा सकें। लिन ने कहा कि दोनों पक्ष द्विपक्षीय संबंधों तथा अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी अपने विचारों का आदान-प्रदान करेंगे।

अमरावती अस्पताल के नियोनेटल आईसीयू में आग लगी

अमरावती, 24 अगस्त। महाराष्ट्र के अमरावती जिला महिला अस्पताल की नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट (एनआईसीयू) में सोमवार तड़के भीषण आग लगने से तीन नवजात शिशुओं की मौत हो गई। हादसे के वक्त एनआईसीयू में करीब 39 नवजातों का इलाज चल रहा

■ आग में तीन नवजात शिशुओं की मौत, छः बच्चों को सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल शिफ्ट किया।

था। छह बच्चों को बेहतर इलाज के लिए सुपर-स्पेशियलिटी अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। जानकारी के अनुसार, आग सुबह करीब 3:30 बजे अस्पताल की तीसरी मंजिल पर लगी। शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि अमरावती जिला महिला अस्पताल के स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट (एसएनसीयू) में 39 नवजात शिशु भर्ती थे।

मुंबई के ऑटो और टैक्सी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कर रहे हैं। मैं टूटी-फूटी मराठी में जवाब दे सकता हूं। मैं पढ़ सकता हूं, लेकिन बातचीत करने में धाराप्रवाह नहीं हूं। अगर हमें समय दिया जाए तो हम सुधार कर सकते हैं।"

एक अन्य चालक ने कहा कि वह गुजराती, पंजाबी और अंग्रेजी सहित, कई भाषाएं जानता है, लेकिन उसने सवाल उठाया कि किसी खास भाषा का ज्ञान नहीं होने पर लोगों को दंडित करने की क्या जरूरत है।

उसने कहा, "लोकतांत्रिक देश में लोगों को भाषा सीखने के लिए डांटने की जरूरत क्यों है? अगर मैं पंजाब चला जाऊं, तो क्या वहां काम करने के लिए मुझे पंजाबी सीखना जरूरी होगा? फिर लोकतांत्रिक देश होने का मतलब ही क्या है?"

एक अन्य चालक ने इसे "अन्याय" बताया और कहा कि वह भाषा सीखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे सीख नहीं पा रहा है। उसके अनुसार, आखिरी रास्ता अपने शहर लौट जाना ही है।

उसने कहा, "लाइसेंस जारी करते समय हमें बताया जाना चाहिए था कि मराठी भाषा जानना अनिवार्य है।"

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे पिछले 40-50 वर्षों से मुंबई में गाड़ी चला रहे हैं। उनका कहना है कि वे मराठी समझते हैं और कुछ हद तक बोलते भी हैं। इसके बावजूद भाषा के मुद्दे पर उन्हें परेशान किया जा रहा है और जुर्माना लगाया जा रहा है।

एक चालक ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा, "हम 55-60 साल के हैं। हम कभी स्कूल नहीं गए। हम मराठी कैसे बोल सकते हैं? अगर हम पढ़े-लिखे होते तो किसी दफ्तर में बैठे होते। हम टूटी-फूटी मराठी बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसे माना नहीं जा रहा है। इसके बजाय, हम पर जुर्माना लगाया जा रहा है। क्या हम 15,000-20,000 रुपये का जुर्माना भर सकते हैं?"

भारी वर्षा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कारण आज दिल्ली आने-जाने वाली उड़ानों का संचालन प्रभावित हो सकता है।"

आरक्षण ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि आरक्षित वर्ग का कोई उम्मीदवार सामान्य मेरिट में परीक्षा उत्तीर्ण करता है और अपने समकक्ष उम्मीदवारों से अधिक अंक प्राप्त करता है, तो वह आरक्षित श्रेणी के भीतर बेहतर पद का दावा कर सकता है।

भाजपा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों भी अकाली दल के साथ संभावित गठबंधन की अटकलों को खारिज करते हुए कह चुके हैं कि भाजपा सभी 117 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- प्लाट नम्बर H1-4, इन्डस्ट्रीयल एरिया फैस प्रथम, जालौर, (राज.) फोन नम्बर 226422, 226423, जालौर। फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908